पत्र संख्या–6 एस०एस०(6)99 / 2026– 6061 /

बिहार सरकार
डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग

प्रेषक,

कुमार रवीन्द्र, बि०प्र०से०,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

प्रधान महालेखाकार (ले० एवं हक०),
बिहार, पटना।

पटना–15, दिनांक– 10 / 11 / 2026.

*अनौपचारिक रूप से परामर्शित

द्वारा :– *आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

विषय :– बिहार राज्य में बकरी पालक सहयोग समिति/बकरी पालक सहकारी संघ/बकरी पालक सहकारी परिसंघ (Goat Federation) के सुदृढ़ीकरण एवं तकनीकी सहयोग प्रदान करने हेतु तकनीकी सहायता एजेन्सी (Technical Support Agency) की सेवाएँ प्राप्त किये जाने के लिए वित्तीय वर्ष 2026–27 से 2028–29 तक की अवधि में राज्य स्कीम के तहत कुल रुपये 600.00 लाख (छः करोड़) मात्र की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में राज्य सरकार ने सम्यक विचारोपरान्त बिहार राज्य में बकरी पालक सहयोग समिति/बकरी पालक सहकारी संघ/बकरी पालक सहकारी परिसंघ (Goat Federation) के सुदृढ़ीकरण एवं तकनीकी सहयोग प्रदान करने हेतु तकनीकी सहायता एजेन्सी (Technical Support Agency) की सेवाएँ प्राप्त किये जाने के लिए वित्तीय वर्ष 2026–27 से 2028–29 तक की अवधि में राज्य स्कीम के तहत कुल रुपये 600.00 लाख (छः करोड़) मात्र की स्वीकृति प्रदान की जाती है। विस्तृत व्यय विवरणी "क" के रूप में संलग्न।

2. इस योजना के तहत बिहार राज्य में बकरी पालक सहयोग समिति/बकरी पालक सहकारी संघ/बकरी पालक सहकारी परिसंघ (Goat Federation) के सुदृढ़ीकरण एवं तकनीकी सहयोग प्रदान करने हेतु तकनीकी सहायता एजेन्सी (Technical Support Agency) की सेवाएँ प्राप्त किया जाना है।
योजना कार्यान्वयन से होने वाले लाभ निम्नवत् हैं :–
   (क) बकरी पालक सहयोग समिति/बकरी पालक सहकारी संघ/बकरी पालक सहकारी परिसंघ (Goat Federation) का गठन।
   (ख) बकरीपालकों को कृत्रिम गर्भाधान, Estrus synchronization, अल्ट्रासाउंड मशीन का उपयोग कर गर्भ जाँच, कम मूल्य वाले बकरी आहार निर्माण, हर्बल स्वास्थ्य, वैज्ञानिक आवास विधि का प्रशिक्षण।
   (ग) बकरियों के मृत्यु दर में कमी, जन्मदर में वृद्धि, कम अवधि में शारीरिक भार में अधिक वृद्धि।

1 Typed by Sanjay Kumar

(घ) बकरी एवं बकरीजन्य उत्पादों हेतु aggregation hubs का निर्माण, बकरी उत्पादों हेतु प्रसंस्करण इकाई का निर्माण, बकरीपालकों को उचित मूल्य दिलाये जाने की व्यवस्था, बकरी के मल एवं मूत्र के समुचित उपयोग की व्यवस्था, बिहार के बकरी मांस की ब्रांडिंग।

3. बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। कृषि के साथ–साथ पशुपालन ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। राज्य के छोटे भूमिहीन किसानों/गरीब परिवारों/मजदूरों द्वारा बकरीपालन किया जाता है। बिहार में बकरा/बकरी की कुल संख्या लगभग 1.28 करोड़ है, जो देश में बकरा/बकरी की कुल संख्या का 8.6 % है।

4. बिहार राज्य में बकरी विकास के लिए बकरी पालक सहयोग समिति/बकरी पालक सहकारी संघ/बकरी पालक सहकारी परिसंघ (Goat Federation) का गठन किया जा रहा है। राज्य के 534 प्रखंडों में प्रखंड स्तरीय बकरी पालक सहयोग समिति का गठन हो चुका है एवं 482 समितियों का पंजीकरण भी कराया जा चुका है। साथ ही प्रमण्डल स्तरीय बकरी पालक सहकारी संघ एवं राज्य स्तरीय बकरी पालक सहकारी परिसंघ का गठन प्रक्रियाधीन है।

5. बकरी पालक सहयोग समिति/बकरी पालक सहकारी संघ/बकरी पालक सहकारी परिसंघ (Goat Federation) का गठन राज्य में प्रथम बार किया जा रहा है। राज्य के बकरीपालकों को इसके संबंध में अनुभव का अभाव है। बकरी पालक सहयोग समिति/बकरी पालक सहकारी संघ/बकरी पालक सहकारी परिसंघ (Goat Federation) को लाभकारी बनाये जाने के उद्देश्य से इनसे जुड़ने वाले बकरीपालकों को तकनीकी रूप से समृद्ध किये जाने की आवश्यकता है। अतएव इनके गठन/क्षमतावर्द्धन/मार्केट लिंकेज/गोट वैल्यू चेन पर विभाग तथा बकरी पालक सहयोग समिति/बकरी पालक सहकारी संघ/बकरी पालक सहकारी परिसंघ (Goat Federation) को तकनीकी सहयोग देने हेतु अगले तीन वर्षों के लिए चार तकनीकी सहयोग एजेन्सी की सेवा प्राप्त किया जाना श्रेयस्कर प्रतीत होता है।

6. तकनीकी सहयोग एजेन्सी द्वारा मुख्य रूप से निम्नांकित बिन्दुओं पर आवश्यक सहयोग प्रदान किया जायेगा :–

(क) सहकारिता के संदर्भ में जागरूकता एवं प्रशासकीय दक्षता विकास – बकरीपालकों को बकरी पालक सहयोग समिति/बकरी पालक सहकारी संघ/बकरी पालक सहकारी परिसंघ (Goat Federation) से जोड़ने हेतु प्रयास, बकरीपालकों का प्रशिक्षण, फेडरेशन के निदेशक मंडल का प्रशिक्षण, वार्षिक कार्य योजना तैयार करना, डिजिटल एम०आई०एस०, संवैधानिक प्रावधानों का अनुपालन।

(ख) बकरीपालकों को बकरीपालन से संबंधित संवेदनशील जानकारी उपलब्ध कराना– बकरीपालकों को पशु प्रजनन, पोषण, स्वास्थ्य, आवासन एवं प्रबंधन की नवीनतम तकनीक की व्यावहारिक जानकारी देना।

(ग) आधुनिक बकरी प्रजनन तकनीक– बकरियों में फ्रोजेन सीमेन का उपयोग कर कृत्रिम गर्भाधान हेतु कृत्रिम गर्भाधान कर्मियों का प्रशिक्षण, कृत्रिम गर्भाधान कार्य, Estrus synchronization, अल्ट्रासाउंड मशीन का उपयोग कर गर्भ जाँच।

(घ) गुणवत्तायुक्त आहार– हाईड्रोपोनिक विधि से चारा उत्पादन, साईलेज निर्माण, मिनरल मिक्सचर, मोरिंगा, हर्बल कृमिनाशक, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने हेतु औषधीय पौधों का उपयोग की जानकारी देना एवं किट उपलब्ध कराना।

(ङ) आवासन– जैव–सुरक्षा युक्त कम लागत मूल्य वाले बकरी शेड का निर्माण एवं प्रशिक्षण।

(च) मार्केट लिंकेज– बकरी एवं बकरी–उत्पादों हेतु aggregation hubs का निर्माण, बकरी उत्पादों हेतु प्रसंस्करण इकाई का निर्माण, बकरीपालकों को उचित मूल्य दिलाये जाने की व्यवस्था, बकरी के मल एवं मूत्र के समुचित उपयोग की व्यवस्था, बिहार के बकरी मांस की ब्रांडिंग।

7. तकनीकी सहायता एजेन्सी (Technical Support Agency) का चयन निविदा के माध्यम से बिहार वित्तीय नियमावली एवं अन्य संगत वित्तीय प्रावधानों के आलोक में पशुपालन निदेशालय के स्तर से किया जायेगा।

8. इस योजना के कार्यान्वयन हेतु डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार की सहमति से पशुपालन निदेशालय के द्वारा विस्तृत कार्यान्वयन अनुदेश निर्गत किया जायेगा।

9. योजना कार्यान्वयन के क्रम में व्यावहारिक कठिनाई आने की स्थिति में डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना द्वारा यथा आवश्यक आंशिक संशोधन किया जायेगा।

10. इस योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निदेशक, पशुपालन, बिहार होंगे।

11. योजना कार्यान्वयन हेतु प्रस्तावित राशि (व्यय विवरणी–"क" के अनुरूप) की निकासी निदेशक, पशुपालन, बिहार द्वारा सचिवालय कोषागार विकास भवन, पटना से की जायेगी एवं बिहार लाईवस्टॉक डेवलपमेन्ट एजेन्सी (बी०एल०डी०ए०), पटना के पी०एल० खाता (संख्या–PBBPLA028) में अंतरित किया जायेगा एवं योजना कार्यान्वयन पर व्यय किया जायेगा।

12. इस योजना के तहत प्रस्तावित व्यय का विकलन बजट मुख्य शीर्ष–2403 –पशुपालन, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–104 –भेड़ तथा ऊन विकास, मांग सं०–02, उप शीर्ष–0102 –अवि एवं अजा का पोषण एवं विकास, विपत्र कोड 02–2403001040102 के तहत 3106 –सहायक अनुदान–गैर वेतन विषय शीर्ष में उपबंधित राशि से किया जायेगा (व्यय विवरणी– क संलग्न)।

वित्तीय वर्ष 2026–27 में इस योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु राज्य स्कीम अन्तर्गत "समेकित बकरी एवं भेड़ विकास योजना" के तहत अतिरिक्त

योजना उद्व्यय प्राप्त करते हुए अनुपूरक आगणन के माध्यम से बजट उपबंध कर योजना कार्यान्वयन पर व्यय किया जायेगा। इस योजना के तहत व्यय को बजट उपबंध के अधीन सीमित रखा जायेगा।

13. निदेशक, पशुपालन का यह भी दायित्व होगा कि वित्त विभागीय संकल्प–573, दिनांक–16.01.1975 एवं एम०–04–15/2009–9736 वि०–2, दिनांक–19.10.2011 के अनुसार सहायक अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र राज्यादेश निर्गत होने की तिथि से 18 माह के अन्दर विभाग एवं महालेखाकार (ले० एवं हक०) बिहार, पटना के कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा तथा व्यय को स्वीकृत राशि के अन्तर्गत सीमित रखा जायेगा।

14. दिनांक–14.07.2026 को संपन्न विभागीय स्थायी वित्त समिति की बैठक में प्रस्तावित स्कीम की स्वीकृति प्रदान की गयी है। संचिका संख्या–6 एस०एस०(6)99/2026 के पृष्ठ 30–29/प०.

15. दिनांक–14.10.2026 को संपन्न स्कीम स्क्रीनिंग समिति की बैठक में प्रस्तावित स्कीम की स्वीकृति प्रदान की गयी है। संचिका संख्या–6 एस०एस०(6)99/2026 के पृष्ठ 53–52/प०.

16. चूँकि यह एक राज्य योजना है। योजना का लागत मूल्य 5.00 करोड़ से अधिक एवं 15.00 करोड़ से कम है। इसलिए वित्त विभागीय संकल्प–12888/वि०, दिनांक–03.12.2024 एवं पत्रांक–201/वि०, दिनांक–13.03.2025 में सन्निहित प्रावधान के आलोक में सक्षम प्राधिकार के रूप में माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है। संचिका संख्या–6 एस०एस०(6)99/2026 के पृष्ठ–22/टि०, दिनांक–02.11.2026.

17. राज्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है। संचिका संख्या–6 एस०एस०(6)99/2026 के पृष्ठ–22/टि० तथा डायरी संख्या–शून्य, दिनांक–27.10.2026.

18. वित्त विभागीय पत्रांक–7355, दिनांक–05.10.2007 में सन्निहित प्रावधान के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

विश्वासभाजन,

(कुमार रवीन्द्र)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :–6 एस०एस०(6)99 / 2026– 6061 पटना–15, दिनांक– 10 / 11 / 2026.

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक की प्रति के साथ वित्त विभाग (योजना / बजट शाखा) / योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना / आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :–6 एस०एस०(6)99 / 2026– 6061 पटना–15, दिनांक– 10 / 11 / 2026.

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक की प्रति के साथ महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :–6 एस०एस०(6)99 / 2026– 6061 पटना–15, दिनांक– 10 / 11 / 2026.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक की प्रति के साथ सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :–6 एस०एस०(6)99 / 2026– 6061 पटना–15, दिनांक– 10 / 11 / 2026.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक सहित निदेशक, पशुपालन, बिहार, पटना / परियोजना निदेशक, बी०एल०डी०ए०, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :–6 एस०एस०(6)99 / 2026– 6061 पटना–15, दिनांक– 10 / 11 / 2026.

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित पशुपालन निदेशालय के बजट शाखा / लेखा शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :–6 एस०एस०(6)99 / 2026– 6061 पटना–15, दिनांक– 10 / 11 / 2026.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक की प्रति के साथ विभाग के सभी पदाधिकारी / योजना शाखा के सहायक प्रशाखा पदाधिकारी को अतिरिक्त पाँच प्रतियों के साथ / आई०टी० मैनेजर, विभागीय कम्प्यूटर कोषांग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :–6 एस०एस०(6)99 / 2026– 6061 पटना–15, दिनांक– 10 / 11 / 2026.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक की प्रति के साथ विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव / माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

5 Typed by Sanjay Kumar

व्यय विवरणी–"क"

बिहार राज्य में बकरी पालक सहयोग समिति/बकरी पालक सहकारी संघ/बकरी पालक सहकारी परिसंघ (Goat Federation) के सुदृढ़ीकरण एवं तकनीकी सहयोग प्रदान करने हेतु तकनीकी सहायता एजेन्सी (Technical Support Agency) की सेवाएँ प्राप्त किये जाने की योजना के सफल कार्यान्वयन पर होने वाले व्यय की विवरणी :–

सामान्य घटक (विपत्र कोड 02–2403001040102)

(राशि करोड़ में)

क्र० सं०	विषय शीर्ष	स्वीकृति हेतु प्रस्तावित राशि				निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	कोषागार का नाम
		वित्तीय वर्ष 2026–27	वित्तीय वर्ष 2027–28	वित्तीय वर्ष 2028–29	कुल योग		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	0102.3106 –सहायक अनुदान–गैर वेतन	1.80	2.20	2.00	6.00	निदेशक, पशुपालन, बिहार।	सचिवालय कोषागार विकास भवन, पटना।
	कुल –	**1.80**	**2.20**	**2.00**	**6.00**		

कुल राशि (रुपये छः करोड़) मात्र।

पत्रांक - 6061, दिनांक- 10/11/2026

सरकार के संयुक्त सचिव

6 Typed by Sanjay Kumar